सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—रमेश देव (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक व खाता तकसीम
नम्बर मुकदमा — 242/2023 निर्णय दिनांकः— 07-07-2023

1 भागीरथ पुत्र बेगराज जाति कुम्हार सा. हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 राजेन्द्र कुमार पुत्र बेगराज जाति कुम्हार सा. हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1 बेगराज पुत्र दौलतराम जाति कुम्हार सा. हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 कृष्ण कुमार पुत्र बेगराज जाति कुम्हार सा. हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री कैलास सिंवल — अधिवक्ता वादी
श्री हरबंस सिह — अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादीगण व प्रति स. 2 के पिता प्रति स. 1 के नाम चक 1 एच.आर.पी. खाता स. 73/0 ज.स. 2073—76 में 4.3300 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।उक्त आराजी वादीगण व प्रति स. 2 की जददी जायदाद है। जिसमें उनका जन्म से ही विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण ने दावा की दफा 6 के अनुसार बंटवारा कर रखा है तथा वे मौका पर इसी अनुसार काबिज है। किन्तु उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया की वे दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी दावा की दफा 6 के अनुसार वादीगण के नाम दर्ज करवा देवे तो पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकीन अन्त में वे वादीगण के उक्त निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये। बस यही वाद कारण है। अतः वादीगण को दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी चक 1 एच.आर.पी. खाता स. 70/0 ज.स. 2073—76 में 4.3300 है0 नहरी मय गै.मु. आराजी मे से दावा की दफा 6 की उप धारा क, ख, ग, घ, के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जावे तथा वादीगण का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग कायम किया जावे।

7/7

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रति स. 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब सहमति का जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल है। प्रति स. 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में वादी स. 1 भागीरथ का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादीगण अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने काशत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परस्पर सहमति से घरू विभाजन वादग्रस्त आराजी का कर लिया है तथा उसी अनुसार मौका पर काश्त कर रहे है। कब्जा काश्त के संबंध मे कोई विवाद नही है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी वादी के नाम से दर्ज नही होने से खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड रहा है। वादीगण के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 1 एच.आर.पी. खाता स. 70/0 ज.स. 2073–76 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादी के वाद का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि वादीगण को दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी चक 1 एच.आर.पी. खाता स. 70/0 ज.स. 2073–76 में 4.3300 है0 नहरी मय गै.मु. आराजी मे से दावा की दफा 6 की उप धारा क, ख, ग, घ, के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जावे तथा वादीगण का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग कायम किया जावे।

निज.....X..... मुब्लिक.....X..... बाबत.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....X..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 07.07.2023 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा. प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

7/7/23

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

1 भागीरथ पुत्र बेगराज जाति कुम्हार सा. हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 राजेन्द्र कुमार पुत्र बेगराज जाति कुम्हार सा. हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1 बेगराज पुत्र दौलतराम जाति कुम्हार सा. हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 कृष्ण कुमार पुत्र बेगराज जाति कुम्हार सा. हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री कैलास सिंवल – अधिवक्ता वादी
श्री हरबंस सिह – अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

मु. स . 242/2023 दावा अन्तर्गत धारा 88/53 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलास सिवल एड. वादीगण व श्री हरबन्स सिह एड. प्रति स. 1 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि वादीगण को दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी चक 1 एच.आर.पी. खाता स. 70/0 ज.स. 2073–76 में 4.3300 है0 नहरी मय गै.मु. आराजी मे से दावा की दफा 6 की उप धारा क, ख, ग, घ, के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जावे तथा वादीगण का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग कायम किया जावे।दावा की दफा 6 निम्न प्रकार से हैः–

वादी स. 1 भागीरथ पुत्र बेगराज का 1.518 है. का कब्जाः–
202/118 16 3/1/.228 3/2/.025 4/1/.228 4/2/.025
5/1/.202 5/2/.025 5/3/.026 6/1/.228
6/2/.025 7–8/.253प्र कुल 1.518 है0
नहरी 1.392 है. नहरी खाला 0.075, रास्ता 0.051

वादी स. 2 राजेन्द्र कुमार पुत्र बेगराज का 1.421 है0 का कब्जाः–
204/118 14 1/.002रास्ता 10/1/.038 10/2/.025 रास्ता

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

203 / 118   15   3 / 1 / 2 / .114 3 / 2 / 2 / .013 खाला 4 / 1 / .228
4 / 2 / .025 खाला 5 / 1 / .139 5 / 2 / .015 खाला
5 / 3 / .025 रास्ता 5 / 4 / .038 खाला 6 / 1 / .228
6 / 2 / .025 खाला 8 / 2 / .126
202 / 117   11   16 / 1 / 2 / .114   16 / 2 / 2 / .013 रास्ता
25 / 1 / .228 25 / 2 / .025 रास्ता

कुल 1.421 है0 नहरी 1.215 है. खाला 0.116 रास्ता 0.090 है.

प्रति स. 1 बेगराज पुत्र दौलतराम का 0.126 है0 का कब्जाः–

202 / 117   11   16 / 1 / 1 / .114 16 / 2 / 1 / .012 रास्ता

कुल 0.126 है. नहरी 0.114 है.रास्ता 0.012

प्रति स. 2 कृष्ण कुमार पुत्र बेगराज का 1.265 है. का कब्जाः–

203 / 118   15   1 / 1 / .228 1 / 2 / .025 खाला 2 / 1 / .228
2 / 2 / .025 खाला 3 / 1 / 1 / .114
3 / 2 / 1 / .012 खाला 8 / 1 / .127 9–10 / .253प्र

कुल 1.265 है. नहरी 1.203 है. खाला 0.062 है

निज....x.............. मुब्लिक.......x........ बाबत.....100/–.........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....x.... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक....07-07-2023.... को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

7/7/23

(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official